23 8 23 पत्रा. प्रेम आदि उभय पक्ष हाजिर / बहस आदि. उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल वाद सं. 322/2023 कडमवाली सीताराम बनाम महेन्द्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल वाद विभाजन का है तथा प्रार्थी का पक्ष उन्हें बिना अपील कार्यवाही करने पर प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात हो सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र अपील नियम 7 व 13 CPC को स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थी के खिलाफ पत्रावली वाद सं. 322/2023 में हुई एकपक्षीय कार्यवाही को उपपाल किया जाता है। पत्रा. फैसल कुमार होकर नगर से रमते हो तथा मूल वाद के पक्षकार हैं। विनोद अग्र रिमांड की मेरहत्तारा से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर